न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
108/2013	23/04/2013	10/09/2025

जगदीश प्रसाद उम्र 65 की आत्मज श्री केसरालाल जाति ब्राहम्मण निवासी अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

प्राथी

बनाम

1. पुरुषोत्तम पुत्र श्री केसरीलाल जाति ब्राहमण निवासी अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
2. प्रेमचन्द पुत्र श्री केसरीलाल जाति ब्राहम्मण निवासी अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०
3. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार पीपल्दा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

अप्रार्थीगण

उपस्थित प्रार्थी अधिवक्ताः– श्री नन्दकिशोर पारेता एड0।
उपस्थित अप्रार्थीगण अधिवक्ताः– श्री रोहित तिवारी एड0।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू राजस्व अधि0 1956

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया जिसके सार बिन्दु संक्षिप्त में इस प्रकार है कि सेंटलमेंट से पूर्व वाके ग्राम अयाना तहसील पीपल्दा में प्रार्थी के पिता श्री केसरीलाल पुत्र श्री रामचन्द्र जाति ब्रहाम्मण निवासी अयाना के खाते में निम्न भूमिया दर्ज थीः–

खसरा नम्बर	रकबा
910	17 बीघा 18 बिस्वा
933	11 बीघा 19 बिस्वा
1121	6 बीघा 13 बिस्वा
1122	3 बीघा 19 बिस्वा
1127	4 बीघा बिस्वा
1123	6 बीघा 15 बिस्वा
कुल किता 6	कुल रकबा 51 बीघा 15 बिस्वा

यह कि बाद सेंटलमेंट उपरोक्त वर्णित आराजी के नये खसरा नम्बर व रकबा वाके ग्राम अयाना में निम्न प्रकार कायम किये गये है

खसरा नम्बर	रकबा
2108	1.14है0
2109	1.77है0
2234	1.75है0
2239	1.09है0
2242	1.75है0
कुल किता 5	कुल रकबा 7.77है0 नहरी द्वितीय

प्रार्थी के पिता श्री केसरीलाल का स्वर्गवास हो चुका है, इस कारण उक्त भूमियाँ विरासतन प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के नाम को हुयी थी, तथा वाके ग्राम अयाना में स्थित उपरोक्त आराजी के खातेदार पुरुषोत्तम, जगदीश, प्रेमचन्द पुत्रान केसरीलाल, केशरबाई पत्नी केसरीलाल का नाम दर्ज हो चुका था, केशरबाई का स्वर्गवास हो चुका है। यह

के सेटलमेंट विभाग ने सेंटलमेंट ऑपरेशन के बाद प्रार्थी एवं अनार्थीगण के खाते व रकबे की भूमि में त्रुटिपूर्ण अंकन किया हैं, रकबे में कमी की दर्ज की है, जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है:–

पुराने ख0नं0	रकबा	नये ख0नं0	रकबा	कमी/बैशी
910	17 बीघा 18 बिस्वा	2239 2242	1.09है0 1.75है0	0.02है0 कमी दर्ज
933	11 बीघा 19 बिस्वा	2234	1.75है0	0.16है0 कमी दर्ज
1121	6 बीघा 13 बिस्वा	2109	1.77है0	0.67है0 कमी दर्ज
1122	3 बीघा 19 बिस्वा			
1127	4 बीघा 13 बिस्वा			
1123	6 बीघा 15 बिस्वा	2108	1.41है0	0.33है0 बढोतरी दर्ज

उपरोक्त तुलनात्मक चार्ट के अनुसार सेटलमेंट विभाग ने प्रार्थी के खाते में 0.51 है० रकबा कम दर्ज किया है, जब कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण मौके पर पूर्ववत काबिज चले आ रहे हैं, मौके पर रकबा पूर्ण है, केवल राजस्व रेकॉर्ड में कमी दर्ज हुयी हैं, इस कारण रकबा दुरस्ती हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया। यह कि अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को सहखातेदार होने से औपचारिक पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 1 व 2 के कमी रकबे की पूर्ति करते हुये, राजस्व रेकॉर्ड में पूर्ण रकबा दर्ज करने व नक्शा ट्रेस दुरस्त कर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने का आदेश अप्रार्थी क्रम 3 तहसीलदार पीपल्दा के नाम जारी फरमाने का अनुतोष।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र श्री नन्दकिशोर पारेता एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थीकम 1 की ओर से गिरधर गोपाल तिवारी एड0 ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीकम 1 की ओर से इकबाली जवाब पेश है। शामिल पत्रावली है।

विशेष आपत्तिः– प्रार्थना पत्र में विवादित आराजीयात का राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम 2, 3 व उनकी माँ के मध्य विभाजन हो रहा है।

1. प्रार्थी जगदीश प्रसाद का हिस्साः– ख0नं0 2239/2 का रकबा 0.19है., ख0नं0 2242/2 का रकबा 1.75है0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.94है0,
2. अप्रार्थी प्रेमचन्द का हिस्साः– ख0नं0 2108/1 रकबा 0.17है0, ख0नं0 2109 रकबा 1.77है0 कुल किता कुल रकबा 1.94है0,
3. अप्रार्थी प्ररूषोत्तम का हिस्साः– ख0नं0 2234 रकबा 1.75है0, ख0नं0 2239/1 रकबा 0.19है0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.94है0 है तथा प्रार्थी व अप्रार्थी की मां के हिस्से में 1.95है0 कृषि भूमि दर्ज है। जिसकी मृत्यु हो चुकी है। इस कारण कायम मुकाम वारिसान के रूप में इनके हिस्से की आराजी पर भी प्रार्थी और अप्रार्थीगण का नाम दर्ज होना है। इस काण कमी रकबा 0.51है0 की पूर्ति सम्भाग से प्रार्थी और अप्रार्थीगण के मध्य किया जाना न्यायोचित है।

निर्धारित समय व्यतीत होने के उपरांत भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण दिनांक 16.03.2020 को अप्रार्थीकम 2 का जवाब बंद किया गया। तहसीलदार पीपल्दा की रिपोर्ट दिनांक 30.06.2022 को प्राप्त है। शामिल पत्रावली है जिसके अनुसार सेटलमेंट रिकॉर्ड अनुसार वर्तमान में दर्ज ख0नम्बरों का रकबा सही है किसी भी प्रकार के

परिवर्तन की आवश्यकता उचित नहीं लगती है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में एवं प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में यह नहीं बता पाए की आया कमी रकबे की पूर्ति कौनसे ख0नं0 से की जाकर किस खसरा नं0 में बढाया जावे। यह भी स्पष्ट करने में विफल रहे कि रकबे की कमी को किस खसरे के रकबे में बढाया है तथा कमी पूर्ति किस संलग्न खसरे से करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी नये प्रकार से दावा धारा 88 के तहत जाने के लिए स्वतंत्र है जिसमें वह दावे के अभिकथनों को विश्वसनीय साक्ष्य से साबित करे कि किसी खसरे विशेष में कमी हुई तथा किस खसरे नं0 में वृद्धि हुई एवं समीपस्थ किस खसरे जहां वृद्धि हुई (सिवायचक या खातेदारी भूमि) से पूर्ति की जाये।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा